न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, केम्प कोर्ट पिचियाक

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 81/2008

प्रार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र लादूराम
2. नारायणराम पुत्र लादूराम
3. बुधाराम पुत्र लादूराम जातियान कीर, निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुगनी पुत्री श्री भीकाराम पत्नी रूपाराम, जाति पटेल नारना
2. मोतीलाल पुत्र रूपाराम
3. माधुराम पुत्र रूपाराम
4. गजराज पुत्र रूपाराम जातियान पटेल नारना, निवासी बिलाड़ा, हाल बेरा उदावतो वाली पिचियाक तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
5. राजकुमार पुत्र गजानन्द दाधीच निवासी वार्ड नं. 13 राजलदेसर, तहसील रतनगढ, जिला चुरू
6. तहसीलदार पदेन सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री एन.एस.सोढा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री बी.आर. विश्नोई
अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दिनांक 16.7.2011

:: आदेश ::

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता लादूराम अनपढ काश्तकार व्यक्ति थे एवं अपने जीवनकाल में रूपयों के लेनदेन हेतु रूपाराम व उनके पिता किशनाराम से लेन–देन किया करते थे अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उनसे ब्याज पर रूपये उधार लेते एवं वापस हिसाब ब्याज सहित देते रहते थे। परन्तु उक्त रूपाराम बहुत ही होशियार व चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिस कारण उन्होने रूपयों के लेन–देन के समय प्रार्थीगण के पिता से प्रार्थीगण की जमीन गिरवीनामा का कहकर रजिस्ट्री धोखे एवं कपटपूर्वक बैचान की रजिस्ट्री उन्होने अपनी पत्नी सुगनीदेवी के नाम से व एक रजिस्ट्री अपने पिता किशनाराम के नाम से करवा दी। परन्तु उक्त जमीन का बैचान नही किया गया था मात्र रूपये उधार लिये गये थे एवं जिसके ऐवज में उक्त गिरवी का कहकर बैचान की रजिस्ट्री करवा दी परन्तु वादग्रस्त जमीन का कब्जा प्रार्थीगण के पिता का ही रहा, कभी भी कब्जे का हस्तान्तरण नही किया गया एवं प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा निरन्तर आज दिन तक बहैसियत मालिक के चला आ रहा है। उक्त घटना के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता ने

कलेक्टर
अधिकारी

सम्पूर्ण उधार लिये गये रूपये दिनांक 19.01.1985 को लौटा दिये एवं सम्पूर्ण हिसाब की फारख्ती उक्त रूपाराम ने करवाकर फारख्ती का लिखत प्रार्थी के पिता को दे दिया एवं असल रजिस्ट्रीया भी प्रार्थीगण के पिता को लौटा दी जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जसवन्तपुरा जो उस समय ग्राम पिचियाक के राजस्व गांव का ही हिस्सा था के खसरा नम्बर 191 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 194 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता का था एवं वर्तमान में प्रार्थीगण का है। खसरा नम्बर 102 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा का 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 99 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में 1/2 हिस्सा जो प्रार्थीगण के पिता का था एवं वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है का भी बैचान उक्त वर्णित दिनांक को गलत रूप से करवा लिया। प्रार्थीगण के पिता बहुत ही भोले व अनपढ व्यक्ति थे कभी भी इस बैचान के सम्बंध में उनको जानकारी नही हुयी एवं इस भूमि को वे मालिक के रूप में उपयोग में लेते रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण को भी अप्रार्थीगण ने कभी भी कब्जे में न तो दखल किया और न ही प्रार्थीगण के हक वं हिस्से को इन्कार ही किया जिस कारण प्रार्थीगण को भी उक्त कपट से करवाई गयी बैचान की रजिस्ट्रीया की जानकारी नही हुयी। अप्रार्थी सुगनीदेवी ने खसरा नम्बर 191 व 194 का बैचान बिना कब्जा के ही उक्त अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में करवा दिया एवं उक्त अप्रार्थी ने भी वादग्रस्त जमीन को कभी देखा तक नही और न ही प्रार्थीगण के कब्जे में दखल ही किया। वादग्रस्त जमीन पर प्रार्थी का पेजेशरी टाईटल स्थापित है एवं प्रार्थीगण का कब्जा अप्रार्थीगण की जानकारी में एवं जन सामान्य की जानकारी में निरन्तर चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग बहैसियत मालिक के करते आ रहे है एवं आज भी प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी रोकटोक के काश्त कार्य कर रहे है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण जमीन पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है एवं मात्र अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष रूपाराम ने जो रूपयों का लेनदेन के धन्धा करते थे कपटपूर्वक गिरवीनामा का कह कर बैचान की रजिस्ट्री करवा दी ऐसे कपटपूर्वक दस्तावेज से कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होते और न ही बिना कब्जा के हस्तानान्तरण ही किया जा सकता है प्रार्थीगण के पिता ने 1985 में सम्पूर्ण फारख्ती कर असल बैचान की रजिस्ट्रीया भी सौप दी परन्तु उन्होने लोग लाज के डर से प्रार्थीगण के पिता को जो रजिस्ट्रीया करवानी पड़ती एवं गांव में उनकी बदनामी होती उक्त बदनामी के डर से उक्त तथ्यों को छुपाये रखा। अन्त में निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण बैचान या रहन नही करे एवं न ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में स्वयं दखल करे और नही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता

सहायक कलेक्टर
एवं खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देना नही चाहते है इसलिए इनका जवाब बन्द किया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत राजस्व रेंकर्ड अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी दर्ज होना साबित है तथा सयुक्त खातेदारी भूमि में कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
दिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 14-7-2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
दिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, दिलाड़ा
सत्यमेव जयते